



राजस्थानसरकार  
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(4)कार्मिक/क-1/2025

जयपुर, दिनांक : 08-05-2025

आज्ञा

वर्तमान में उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त शासकीय विभागों/कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को अत्यावश्यक/आपातकालीन परिस्थितियोंके अलावा आगामी आदेशों तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाये।

जिन अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत हैं, वह अत्यावश्यक/आपातकालीन परिस्थिति में ही अवकाश उपभोग करें।

जो अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में अवकाश पर हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारी/कर्मचारीगण उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कनिष्क कटारिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उपमुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 8 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 9 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

Signature valid



Digitally signed by Kanishk Kataria  
Designation: Joint Secretary  
Government of Rajasthan  
Date: 2025.05.09 10:31:16 IST  
Reason: Approved